सं.4-1(69)/2012/डीडी-I

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 5 नवम्बर, 2014

<u>आदेश</u>

विषय: धालोपर ग्रामीण विकास केंद्र, गांव- धालोपर, पी.ओ. असालकांडी, जिला-करीमगंज, असम - संगठन को काली सूची में डालने के संबंध में।

जबकि, धालोपर ग्रामीण विकास केंद्र, पीओ असालकांडी, जिला-करीमगंज, असम नामक संगठन को दिनांक 30.03.2012 के स्वीकृति आदेश संख्या 4-1 (67)/2011-डीडी-I-एनजीओ द्वारा सहायक यंत्रों और उपकरणों के वितरण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप योजना) की केंद्रीय क्षेत्रक योजना के तहत असम के करीमगंज जिले में शिविर गतिविधियों के लिए वर्ष 2011-12 के लिए 18.50 लाख रुपये की सहायता अनुदान जारी की गई थी।

2. जबकि, उपरोक्त सहायता अनुदान के उपयोग में अनियमितताओं के संबंध में संगठन के विरुद्ध मंत्रालय में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। तदनुसार, दिनांक 22.10.2012 के पत्र संख्या 4-1 (67)/2011-डीडी-I-एनजीओ द्वारा दिनांक 30.03.2012 के स्वीकृति आदेश के पैरा 8 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए संगठन को सूचित किया गया था कि इस राशि का उपयोग चालू वित्त वर्ष (2011-12) के अंत तक या अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के अंत तक अर्थात् 30.06.2012 तक किया जाना है। केंद्र के संज्ञान में यह भी लाया गया कि स्वीकृति आदेश के पैरा 17 के अनुसार, संगठन को शिविरों के बारे में जिला कलेक्टर के साथ-साथ स्थानीय बीडीओ को अग्रिम रूप से सूचित करना सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें शिविर के बारे में स्थानीय विधायक/सांसद को सूचित करना चाहिए। पत्र की एक प्रति असम सरकार के समाज कल्याण विभाग के आयुक्त और सचिव को भी भेजी गई थी।

3. जबकि, संगठन ने दिनांक 27.11.2012 के पत्र के माध्यम से एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी लेकिन आवश्यकता अनुसार, इसे समाज कल्याण विकास, असम सरकार के माध्यम से अग्रेषित नहीं किया गया था। इस प्रकार, इस मामले को दिनांक 13.03.2013 के पत्र के माध्यम से राज्य सरकार के साथ उठाया गया था। इसका उत्तर देते हुए राज्य सरकार ने दिनांक 08.03.2013 के पत्र के माध्यम से गैर-सरकारी संगठन की अनुपालन रिपोर्ट/तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट अग्रेषित की जिसमें सहायता अनुदान की स्वीकृति के प्रस्ताव की सिफारिश की गई थी और साथ ही करीमगंज के स्थानीय विधायक से प्राप्त एक रिपोर्ट भी भेजी थी।

4. जबकि, असम राज्य सरकार से प्राप्त स्पष्टीकरण और संगठन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, इस मामले पर मंत्रालय में आगे विचार किया गया और 2011-12 के दौरान जारी किए गए 18.50 लाख रुपये के सहायता अनुदान के उपयोग के बारे में विभाग के एक अधिकारी के माध्यम से संगठन का विस्तृत निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया।

5. जबकि, निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, धालोपर ग्रामीण विकास केंद्र के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन कार्यालय में दस्तावेजों की अनुपलब्धता अर्थात् हस्ताक्षर के साथ लाभार्थियों का रजिस्टर, 01.03.2012 से 30.06.2012 की अवधि के लिए बैंक का विवरण, लाभार्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता, के कारण नहीं किया जा सका। तदनुसार, विभाग के अधिकारी ने सिफारिश की कि जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर सहायता पर विचार किया जा सकता है, जिसके लिए निरीक्षण अधिकारी द्वारा दिनांक 29.09.2013 को संगठन को एक पत्र सौंपा गया था। चूंकि ये दस्तावेज मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुए थे, इसलिए राज्य सरकार से दिनांक 11.11.2013 के पत्र के माध्यम से इन्हें भेजने हेतु अनुरोध किया गया था बाद में दिनांक 26.11.2013 और 22.1.2014 के अनुस्मारक के माध्यम से भी अनुरोध किया गया था।

6. जबकि, असम राज्य सरकार ने दिनांक 07.02.2014 के पत्र के माध्यम से उत्तर दिया कि अपर उपायुक्त, करीमगंज द्वारा मामले का निरीक्षण किया गया है तथा संगठन के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तथापि, मंत्रालय द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों से यह भी पाया गया कि 472 लाभर्थियों में से संगठन ने (i) 15 लाभार्थियों के ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र (ii) केवल 20 लाभार्थियों के आय प्रमाण पत्र और (iii) केवल 26 लाभर्थियों के वचन पत्र प्रस्तुत किए हैं। नतीजतन, मंत्रालय द्वारा दिनांक 02.05.2014 के पत्र के माध्यम से राज्य सरकार के साथ इस मामले को उठाया गया ताकि संगठन द्वारा सहायता प्राप्त सभी 472 लाभार्थियों के हस्ताक्षर के साथ लाभार्थियों के रजिस्टर, बैंक विवरण, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकें।

7. जबकि, असम राज्य सरकार ने दिनांक 07.05.2014 के पत्र के माध्यम से उपायुक्त, करीमगंज से प्राप्त संगठन के संबंध में प्रासंगिक कागजात के साथ जांच रिपोर्ट अग्रेषित की थी। जांच करने पर यह पाया गया कि उपायुक्त कार्यालय, करीमगंज के दिनांक 05.03.2014 के पत्र में उल्लेख किए गए अनुसार जांच रिपोर्ट की पूरी प्रतियां और संबंधित कागजात संलग्न नहीं पाए गए ।

8. जबकि, राज्य सरकार और धालोपर ग्रामीण विकास केन्द्र के साथ विभिन्न पत्राचारों के बावजूद, इस मंत्रालय को अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और तदनुसार संगठन के विरुद्ध शिकायत पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

9. जबकि, ऊपर वर्णित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय के दिनांक 04-07-2014 के पत्र के माध्यम से संगठन को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें उनसे यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि संगठनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए और 2011-12 के लिए संगठन को जारी अनुदान की पूरी राशि दंडात्मक ब्याज के साथ वसूल क्यों न की जाए और संगठन को काली सूची में क्यों न डाल दिया जाए। पत्र में यह भी दोहराया गया था कि यदि कोई जवाब नहीं मिलता है तो संगठन के खिलाफ मौजूदा नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी, एकपक्षीय रूप से इस धारणा पर कि उनके पास देने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। दिनांक 04.07.2014 के कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना था। तथापि, मंत्रालय को 31.10.2014 तक धालोपर ग्रामीण विकास केन्द्र, ग्राम धालोपर, पीओ असलकांडी, जिला-करीमगंज, असम से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

10. अत:, असम के करीमगंज जिले में एडिप योजना के अंतर्गत शिविर गतिविधियों के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान जारी 18.50 लाख रुपये के सहायता अनुदान के उपयोग के मामले में धालोपर ग्रामीण विकास केन्द्र उन्हें 04.07.2014 को जारी कारण बताओ नोटिस का बिंदुवार और विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहा।

11. अब, उपर्युक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जनहित में इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आगे वित्तीय सहायता के लिए धालोपर ग्रामीण विकास केन्द्र, ग्राम-धालोपर, पीओ असलकांडी, जिला-करीमगंज, असम नामक संगठन को काली सूची में डालने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार यह आदेश दिया जाता है।

(एस.के. महतो)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23389368

सेवा में,

सचिव,
धालोपर ग्रामीण विकास केंद्र
गांव: धालोपर, पीओ असलकांडी
जिला: करीमगंज, असम
पिन -788723

1. मंत्रालय में सभी ब्यूरो प्रमुख

2. मंत्रालय के सभी निदेशक/उप सचिव

3. आयुक्त और सचिव, समाज कल्याण विभाग, असम सरकार।

4. उपायुक्त, करीमगंज।

5. पीएसए, एनआईसी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय - इस अनुरोध के साथ कि आदेश की एक प्रति मंत्रालय की वेबसाइट पर डाली जाए।

प्रतिलिपि:

माननीय मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) के निजी सचिव / माननीय राज्य मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) के निजी सचिव / सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव / सचिव (डीए) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव